

सं०

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

की

आवासीय योजनाओं

में

“जैसा है, जहाँ है”

के आधार पर भवन

लाटरी पद्धति से सम्पत्ति

प्राप्त करने के नियम एवं शर्तों की

पंजीकरण पुस्तिका

पंजीकरण दिनांक 10-10-2018 से 24-12-2018 तक

विवरण पुस्तिका का मूल्य 50/- मात्र

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की आवासीय योजनाओं में
“जहाँ है, जैसा है” के आधार पर सम्पत्ति प्राप्त करने की
नियम एवं शर्तों का विवरण—

1. योजना का नाम—

- (1) पल्लवपुरम फेस-1 (दुर्बल आय वर्ग फ्लैट)
- (2) पल्लवपुरम फेस-2 (दुर्बल आय वर्ग फ्लैट)
- (3) पल्लवपुरम फेस-2 (अल्प आय वर्ग, उच्च आय वर्ग भवन)
- (4) श्रद्धापुरी फेस-1 (अल्प आय वर्ग फ्लैट्स)
- (5) श्रद्धापुरी फेस-2 (दुर्बल आय वर्ग व अल्प आय वर्ग फ्लैट्स)
- (6) डिफेन्स एन्कलेव (दुर्बल आय वर्ग फ्लैट्स)
- (7) सैनिक विहार (3बैडरूम व 2 बैडरूम फ्लैट्स)
- (8) गंगानगर (दुर्बल आय वर्ग व अल्प आय वर्ग फ्लैट्स)
- (9) रक्षापुरम-रक्षाग्रीन (मध्यम आय वर्ग फ्लैट्स)
- (10) डा0 राम मनोहर लोहियानगर (दुर्बल आय वर्ग व अल्प आय वर्ग फ्लैट्स)
- (11) डा0 राम मनोहर लोहियानगर (अल्प आय वर्ग, अर्द्ध निर्मित भवन)
- (12) डा0 राम मनोहर लोहियानगर (मध्यम आय वर्ग, बहुमंजिला भवन)
- (13) शताब्दीनगर (सेक्टर-1, सेक्टर-4बी, सेक्टर-4सी के भवन)
(दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मिनी मध्यम आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग व उच्च आय वर्ग भवन)
- (14) शताब्दीनगर (मध्यम आय वर्ग, बहुमंजिला भवन)
- (15) शताब्दीनगर-एयरपोर्ट एन्कलेव (विला/ड्यूप्लेक्स, फ्लैट्स)
- (16) वेद व्यासपुरी (दुर्बल आय वर्ग फ्लैट्स)

2. विशेष आकर्षण—

2.10 क-सड़क, सीवर, ड्रेनज, विद्युत एवम् जलापूर्ति आदि सुविधाओं से युक्त किया जायेगा।

ख-सुव्यवस्थित वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण परिपूर्ण।

2.20 आवंटन प्रक्रिया का अत्यन्त सरलीकरण।

2.30 योजना का लाभ दिनांक 10-10-2018 से 24-12-2018 तक।

3. ग्राह्यता (पात्रता)—

3.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.20 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक व्यवस्क अर्थात् आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

3.30 आवेदन प्रस्तुत करते समय दुर्बल आय वर्ग श्रेणी आवेदको की अधिकतम वार्षिक आय रूपये 3,00,000/- (तीन लाख रूपये मात्र) निर्धारित है तथा अल्प आय वर्ग श्रेणी के आवेदकों की वार्षिक आय रूपये 3,00,000/- (तीन लाख) से अधिक तथा

अधिकतम रूपये 6,00,000/- (छः लाख रूपये मात्र) तक निर्धारित है। दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी के आवेदकों की वार्षिक आय उक्त वार्षिक आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी के आवेदकों द्वारा आवेदित सम्पत्ति के पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय के प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी तथा आरक्षण के पात्र आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जातिय प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करनी होगी जिसके संलग्न न पाये जाने अथवा निर्धारित आय सीमा से अधिक आय पाये जाने पर पंजीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

3.40 आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवस्यक बच्चों) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं होने चाहिये। यदि सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् आवेदक के पक्ष में पहले कोई आवंटित सम्पत्ति पायी जाती है तो आवेदक का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

3.50 जिन व्यक्तियों ने मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहले से पंजीकरण कराया हुआ है तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में करना होगा।

3.60 यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो उस व्यक्ति को, आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को छोड़कर शेष सम्पत्तियों में जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी।

4. आवेदन कैसे करें-

4.10 आवेदन-पत्र केवल निर्धारित प्रारूप-पत्र जो विवरण पुस्तिका में संलग्न है, पर व रूपये 10/- का शपथ पत्र के साथ में ही लिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदको को भवन के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित व समाज के विकलांग) के आवेदकों को भवन के अनुमानित मूल्य का 5 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, अथवा पे-आर्डर जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम देय हो अथवा पंजीकरण धनराशि की जमा की रसीद संलग्न न होने पर, आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने पर तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय का प्रमाण पत्र संलग्न न पाया जाने पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदको को आवेदन पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी

फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति अथवा आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

- 4.20 आवेदकों को अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर अपेक्षित पंजीकरण धनराशि सहित विज्ञापित बैंक में जमा करना होगा जिस बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- 4.30 आवेदन एक से अधिक अथवा संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता है, किन्तु पति-पत्नी द्वारा संयुक्त नाम से आवेदन करने की छूट होगी।
- 4.40 पंजीकरण धनराशि का विवरण संलग्नक एक में उल्लिखित हैं।
- 4.50 आवेदन पत्र सहित विवरण पुस्तिका रुपये 50/- के नकद भुगतान पर निम्नलिखित बैंक से निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त की जा सकती है एवं आवेदन पत्र पूर्ण करके इन्हीं बैंकों में निर्धारित तिथि तक जमा किये जा सकते हैं:-
- (1) इलाहाबाद बैंक, मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर, मेरठ
 - (2) पंजाब नेशनल बैंक आबूलेन, मेरठ कैंन्ट
 - (3) एच0डी0एफ0सी0बैंक, 171/1, सूर्याश प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ

5. आवंटन प्रक्रिया-

- 5.10 योजना के ड्रा के समय उपस्थित आवेदकों के समक्ष मैनुअली प्रक्रिया द्वारा ड्रा निकालकर भवन का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन विशेष हेतु भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा।
- 5.20 डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के पॉकेट के व एम में स्थित सभी भवन अर्द्धनिर्मित है जिन्हें प्राधिकरण द्वारा पूर्ण नहीं किया जायेगा। भवनों के आवंटन पश्चात् आवेदकों के स्वयं अपने व्यय पर पूर्ण कराना होगा। आवेदकों द्वारा जिस ग्रुप के भवनों की पंजीकरण धनराशि अपने आवेदन पत्र के साथ जमा की जायेगी, उन्हें उस ही ग्रुप के भवनों के लाटरी ड्रा में शामिल किया जायेगा।
- 5.30 प्राधिकरण किसी ऐसी धनराशि पर ब्याज के लिये उत्तर दायी नहीं होगा जो बैंक अथवा जमा कर्ता की त्रुटि से प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं हुई हो।
- 5.40 यदि किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र भरते समय तथ्यों को छुपाया जाता है तो उसका पंजीकरण आवेदन पत्र/आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 5.50 प्राधिकरण द्वारा फ्रीहोल्ड पर आवंटित भवन का विक्रय विलेख आवंटी द्वारा कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार लीजहोल्ड सम्पत्ति में निहित भूमि का पट्टा विलेख एवं स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय विलेख कराना अनिवार्य होगा।
- 5.60 आवंटन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद/आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5.70 आवेदक द्वारा किसी कारणवश सम्पत्ति के लाटरी ड्रा से आवंटन पश्चात् आवंटन धनराशि जमा करने से पूर्व, आवंटन स्वीकार न कर जमा धनराशि की माँग किये जाने पर जमा आवेदन धनराशि 05 प्रतिशत कटौती के उपरान्त वापस की जायेगी।

- 5.80 आवंटी को भवन/फ्लैट के आवासीय प्रयोग की अनुमति होगी अन्य किसी उपयोग की नहीं। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त, यदि आवंटी द्वारा भवन/फ्लैट का अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।
- 5.90 प्रत्येक आवेदनकर्ता को प्राधिकरण भवन/फ्लैट देने के लिये बाध्य नहीं है। यदि किसी आवेदक को वांछित भवन/फ्लैट नहीं मिल पाता है, तो वह इसके लिये प्राधिकरण से किसी प्रकार का मुआवजा/क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

6. आरक्षण कोटा

शासन द्वारा वर्तमान में आरक्षण निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

क्र० सं०	वर्ग	प्रतिशत	कोड
1.	अनुसूचित जाति	21	02
2.	अनुसूचित जन जाति	02	03
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	04
4.	विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	05	08 07
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो रक्षा कर्मी सरकारी कर्मी	05	05 06
6.	उ०प्र० आवास एवम् विकास परिषद, विकास प्राधिकरण जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी उ०प्र० विकास प्राधिकरण कर्मचारी उ०प्र० नगर निगम कर्मचारी उ०प्र० जल संस्थान कर्मचारी उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	02	09 11 12 13
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल व उनके आश्रित	03	14

- 6.10 विकलांग आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 3 प्रतिशत होरिजेन्टल विकलांग श्रेणी के भवन के लाटरी ड्रा में सर्व प्रथम 01 प्रतिशत आरक्षण प्राथमिकता के आधार दृष्टिबाधित (Visually Impaired) आवेदकों को प्रदान किया जायेगा। यदि विकलांग कोटे में एक मात्र एक ही भवन आता है तो वह प्राथमिकता पर

दृष्टिबाधित आवेदक को यथावश्यकता लाटरी के माध्यम से आवंटित किया जायेगा तथा समाज के वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 10 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। अतः आवेदको को विकलांग होने का प्रमाण पत्र तथा विरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न करना तथा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटा भरना आवश्यक हैं। सामान्य श्रेणी के आवेदक कोटा कोड 15 भरें।

6.20 यदि आवेदक एक से अधिक आरक्षण श्रेणी में आता है तो कृपया वह स्वयम् निश्चित कर लें कि वें कौन सी एक आरक्षण श्रेणी का लाभ पाना चाहते हैं, उस आरक्षित श्रेणी का ही उल्लेख करें। यदि आरक्षित श्रेणी के आवेदक समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।

6.30 आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. भुगतान प्रक्रिया-

7.10 योजनावार सम्पत्तियों की उपलब्धता, अनुमानित मूल्य, आवेदन राशि का विवरण, विवरण पुस्तिका की तालिका में दिया गया है। योजनावार सम्पत्तियों का आवंटन योजना के अन्तर्गत लाटरी पद्धति से किया जायेगा। आवंटन के पश्चात् आवंटन धनराशि के रूप में 15 प्रतिशत आवंटन पत्र जारी दिनांक से एक माह के अन्दर तथा शेष धनराशि विवरण तालिका में प्रकाशित विवरण के अनुसार नियत अवधि की सब्याज छमाई/तिमाई किश्तों में जमा करनी होगी।

7.20 योजनावार सम्पत्तियों के आवंटन पश्चात् आवंटित सम्पत्ति के कुल मूल्य में से जमा पंजीकरण धनराशि एवं आवंटन पत्र के जारी दिनांक से एक माह की अवधि में देय/जमा धनराशि को घटाकर शेष धनराशि तालिका के कॉलम 3 के अनुसार सब्याज किश्तें में देय होगी तथा विलम्ब से जमा किये जाने की दशा में तालिका के कॉलम 4 के अनुसार दण्ड ब्याज देय होगा।

सम्पत्ति मूल्य की शेष 75/80 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का विवरण-

क्र० सं०	सम्पत्ति की श्रेणी	75/80 प्रतिशत धनराशि की किश्तों का विवरण	दण्ड ब्याज का विवरण
1.	2.	3.	4.
1	दुर्बल आय वर्ग	9.5 वार्षिक दर से 5 वर्ष की 20 फ्लैट तिमाही किश्ते।	विलम्ब अवधि हेतु 13 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज
2	अल्प आय वर्ग	10.5 वार्षिक दर से 5 वर्ष की 20 फ्लैट तिमाही किश्ते।	विलम्ब अवधि हेतु 14 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज
3	मध्यम आय वर्ग	10.5 वार्षिक दर से 3 वर्ष की 12 फ्लैट तिमाही किश्ते।	विलम्ब अवधि हेतु 15 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज
4	उच्च आय वर्ग	10.5 वार्षिक दर से 3 वर्ष की 12 फ्लैट तिमाही किश्ते।	विलम्ब अवधि हेतु 15 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज

- 7.30 तालिका में उल्लिखित सम्पत्तियों को जहाँ है, जैसा है के आधार पर विज्ञापित किया गया है। डा0 राम मनोहर लोहिया नगर योजना के पॉकेट के एवं एम में स्थित अर्द्धनिर्मित भवनों में जो भी कार्य किया जाना शेष है, वह सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् आवंटियों को स्वयं अपने खर्च पर पूर्ण कराना होगा। यदि किसी भवन में अतिरिक्त भूमि पायी जाती है तो उसका नियमानुसार मूल्य आवंटी द्वारा देय होगा।
- 7.40 तालिका में उल्लिखित कीमत, क्षेत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है। यदि सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में स्थलीय माप अनुसार क्षेत्रफल वृद्धि पायी आती है तो ऐसी दशा में तत्समय नियमानुसार सम्पत्ति में निहित अतिरिक्त क्षेत्रफल का मूल्य अदा करना होगा। सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् सम्पत्ति कार्नर की होने की दशा में नियमानुसार सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्जर के मद में पृथक से देय होगी।
- 7.50 देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।

8. पैनल ब्याज—

भुगतान प्रक्रिया के क्रमांक 8.20 के अन्तर्गत उल्लिखित तालिका के कॉलम 4 के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। सम्पत्ति की किश्तें आरम्भ हो जाने के पश्चात् न्यूनतम् 2 किश्तों की अदायगी समय से अदा न किये जाने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

9. कब्जा—

- 9.10 फ्रीहोल्ड सम्पत्ति का प्राथमिक स्टेट पर 25 प्रतिशत धनराशि, सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड धनराशि, कॉर्नर चार्ज, पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क एवं यथा लागू रोड़ कटिंग चार्ज जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवन का “फ्रीहोल्ड किश्त क्रय अनुबन्ध” का पंजीयन कराने पर कब्जा दिया जायेगा तथा किश्ते चालू हो जाने के पश्चात् कब्जा अनुबन्ध दिनांक तक की देय किश्तें अद्यतन् कराने व अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कराने के पश्चात् “फ्रीहोल्ड किश्त क्रय अनुबन्ध” का पंजीयन कराने पर कब्जा दिया जायेगा।

लीजहोल्ड सम्पत्ति का 25 प्रतिशत धनराशि, सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट धनराशि, कॉर्नर चार्ज, पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क एवं यथा लागू रोड़ कटिंग चार्ज जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्ति में निहित भूमि का “किराया किश्त क्रय अनुबन्ध” का पंजीयन कराने पर कब्जा दिया जायेगा तथा किश्ते चालू हो जाने के पश्चात् कब्जा अनुबन्ध दिनांक तक की देय किश्तें अद्यतन् कराने व अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कराने के पश्चात् “किराया किश्त क्रय अनुबन्ध” का पंजीयन कराने पर कब्जा दिया जायेगा।

विलेख के पंजीयन के समय देय लिखाई—पढ़ाई का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा।

- 9.20 आवंटी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय-समय पर करना होगा।
- 9.30 सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् समय-समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेशों/नियमों-उपनियमों आदि का अनुपालन आवंटी द्वारा करना होगा।
- 9.40 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्च पर लेगा।
- 9.50 यदि आवंटी द्वारा, विलेख के निष्पादन कराने के पश्चात् कब्जा नहीं लिया जाता है तो नियमानुसार निर्धारित दर से आवंटी द्वारा चौकीदारा शुल्क देना होगा।

10. निबन्धन प्रक्रिया-

फ्रीहोल्ड सम्पत्ति की सम्पूर्ण धनराशि, सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड धनराशि, कॉर्नर चार्ज, पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क एवं यथा लागू रोड़ कटिंग चार्ज जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवन का "विक्रय विलेख" का पंजीयन किया जायेगा। इसी प्रकार लीजहोल्ड सम्पत्ति की सम्पूर्ण धनराशि, सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट धनराशि, कॉर्नर चार्ज, पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क एवं यथा लागू रोड़ कटिंग चार्ज जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्ति में निहित भूमि का "पट्टा विलेख" तथा भवन स्ट्रक्चर मूल्य का "विक्रय विलेख" का पंजीयन किया जायेगा। विक्रय विलेख के निबन्धन के समय देय लिखाई-पढाई का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा। यदि भवन/पलैट का विक्रय विलेख कराने से पूर्व "कब्जा अनुबन्ध" का पंजीयन आवंटी द्वारा कराया गया है तो कब्जा अनुबन्ध के समय वहन की स्टाम्प ड्यूटी को नियमानुसार विलेख के निष्पादन के समय देय स्टाम्प ड्यूटी में समायोजित किया जायेगा।

11 समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में धन की वापसी-

यदि कोई आवेदक अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो निम्नानुसार रिफण्ड प्रकरण निस्तारित किया जायेगा:-

- (अ) लाटरी से आवंटन होने से पूर्व जमा धनराशि की मूल रसीद पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करने पर बिना कटौती, बिना ब्याज और प्राधिकरण खाते में एक वर्ष से अधिक जमा रहने के उपरान्त 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- (ब) आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा लाटरी सम्पन्न होने के बाद जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किन्तु अगली 15 प्रतिशत धनराशि जमा होने से पूर्व, प्रथम जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि का 05 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- (स) आवंटन धनराशि जमा होने के बाद किन्तु कब्जा प्राप्त करने से पूर्व, कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(द) आवंटन के पश्चात् यदि सम्पत्ति का कब्जा हस्तगत हो गया है तो कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती के साथ-साथ भवन के रिफण्ड प्रार्थना पत्र एवम् निरस्तीकरण आदेशों के जो भी तिथि पहली होगी तक देय किश्तों में से टूटती किश्तों में सम्मिलित ब्याज एवं भवन/प्लैट में टूट-फूट व रंगाई-पुताई के व्यय की धनराशि की कटौती उपरान्त यदि कोई धनराशि आवेदनकर्ता को दिये जाने हेतु शेष बचती है तो बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

12. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया—

सम्पत्ति का आवंटन, दो या दो से अधिक किश्तों की दयेता पर निरस्त हो जाने पर, यदि आवेदक सम्पत्ति के आवंटन को पुनर्जिवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से एक माह के अन्दर कराना चाहे तो सम्पत्ति के आवंटन की बहाली के दिनांक को लागू नियमों के दृष्टिगत भवन की बहाली वर्तमान मूल्य पर की जायेगी।

13. मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना—

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं और उसने किसी वास्तविक तथ्य को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ भवन का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14.10 आवेदक को विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में अनुपालन करना होगा तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों/नियमों-उप नियमों का आनुपालन करना होगा।

14.20 यदि प्राधिकरण की योजना की अर्जित भूमि पर भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की धारा-18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की धारा-28ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषकों की भूमि दर बढ़ाये जा में निहित भूमि का मूल्य बढ़ता है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में आवंटी से वसूल की जायेगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

14.30 यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनायें देकर अथवा तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन कब्जा प्राप्त कर लिया है या अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा जमा की गयी आवेदन/आवंटन धनराशि को शत-प्रतिशत जब्त करते हुए भवन के मूल्य के विपरीत जमा की गयी अन्य जमा धनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

तालिका में उल्लिखित कीमत, क्षेत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है। यदि सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में स्थलीय माप अनुसार क्षेत्रफल वृद्धि पायी आती है तो ऐसी दशा में तत्समय नियमानुसार सम्पत्ति में निहित अतिरिक्त क्षेत्रफल का मूल्य अदा करना होगा। सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् सम्पत्ति कार्नर की होने की दशा में नियमानुसार

सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्जर के मद में पृथक से देय होगी।

- 14.40 आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा में आवेदन पत्र की संख्या सहित एतद्विषयक सूचना आवेदक द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की जानकारी आवेदक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

तालिका में उल्लिखित सम्पत्तियों के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

- 14.50 आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

- 14.60 यदि किसी आवंटित सम्पत्ति का किन्हीं कारणों मेरठ विकास प्राधिकरण आवंटी को भौति कब्जा देने के असफल रहता है तो ऐसी सम्पत्ति में जमा सम्पूर्ण धनराशि बिना ब्याज एवं बिना कटौती के आवेदक को वापस की जायेगी।

- 14.70 आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लिखित शर्तों में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद् विषयक वर्णित किसी भी शर्त/नियम को शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

- 14.80 तालिका में उल्लिखित सम्पत्तियों के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

- 14.90 इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटी को मान्य होगा।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

पंजीकरण अवधि दिनांक 10-10-2018 से 24-12-2018 तक

योजनावार रिक्त सम्पत्तियों के पंजीकरण हेतु विवरण तालिका

क्र० स०	योजना का नाम	सैक्टर/ पाकेट	भवन की श्रेणी	भवन / प्लैट की संख्या	अनु० क्षेत्रफल (व०मी०)	वर्तमान कीमत	पंजीकरण धनराशि 10% (रूपये में)	आरक्षित वर्ग (अनु० जाति, अनु० जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा विकलांग) के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 5% (रूपये में)	आवंटन धनराशि 15% (रूपये में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	पल्लवपुरम फेस-1 (2 मंजिला प्लैट)	पाकेट-एफ	दुर्बल आय वर्ग	01	23.38	522000	52200	26100	78300
2.	पल्लवपुरम फेस-2 (2 मंजिला प्लैट)	पाकेट-एल	दुर्बल आय वर्ग	01	23.38	560400	56040	28020	84060
3.	पल्लवपुरम फेस-2 (2 मंजिला प्लैट)	पाकेट-एल	दुर्बल आय वर्ग	03	23.38	397000	39700	19850	59550
4.	पल्लवपुरम फेस-2 (2 मंजिला प्लैट)	पाकेट-एल	दुर्बल आय वर्ग	07	23.38	397000	39700	19850	59550
5.	पल्लवपुरम फेस-2 (2 मंजिला प्लैट)	पाकेट-एल	दुर्बल आय वर्ग	03	23.38	560400	56040	28020	84060
6.	पल्लवपुरम फेस-2	पाकेट-पी	अल्प आय वर्ग	01	50.00	1280000	128000	64000	192000
7.	पल्लवपुरम फेस-2	पाकेट-ओ	उच्च आय वर्ग	2	220.50	5644800	564480	282240	846720
8.	पल्लवपुरम फेस-2	पाकेट-ओ	उच्च आय वर्ग	1	180.00	4608000	460800	230400	691200
9.	श्रद्धापुरी फेस-प्रथम (4 मंजिला प्लैट)	सैक्टर-7	अल्प आय वर्ग	5	46.31	1509780	150978	75489	226467

10.	श्रद्धापुरी फेस-द्वितीय (4 मंजिला पलैट)	पाकेट-ई	अल्प आय वर्ग	17	46.31	1181810	118181	59091	177272
11.	श्रद्धापुरी फेस-द्वितीय (2 मंजिला पलैट)	पाकेट-सी	दुर्बल आय वर्ग	20	32.34	511400	51140	25570	76710
12.	रक्षाग्रिन (रक्षापुरम-प्रथम) (4 मंजिला पलैट)	सैक्टर-3	मध्यम आय वर्ग प्रथम तल	16	85.81	3361750	336175	168088	504263
13.	रक्षाग्रिन (रक्षापुरम-प्रथम) (4 मंजिला पलैट)	सैक्टर-3	मध्यम आय वर्ग द्वितीय तल	19	85.81	2931150	293115	146558	439673
14.	रक्षाग्रिन (रक्षापुरम-प्रथम) (4 मंजिला पलैट)	सैक्टर-3	मध्यम आय वर्ग तृतीय तल	20	85.81	2931150	293115	146558	439673
15.	रक्षाग्रिन (रक्षापुरम-प्रथम) (4 मंजिला पलैट)	सैक्टर-3	मध्यम आय वर्ग चतुर्थ तल	22	85.81	2931150	293115	146558	439673
16.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला पलैट)	पाकेट-ए.	टाईप 2बी. एच. के. +स्टडी रूम	8	99.40	2698000	269800	134900	404700
17.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला पलैट)	पाकेट-ए.	टाईप 2बी. एच. के. +स्टडी रूम	37	99.40	2377000	237700	118850	356550
18.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला पलैट)	पाकेट-ए.	टाईप 2बी. एच. के. टाईप-ए	23	81.15	2336000	233600	116800	350400
19.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला पलैट)	पाकेट-ए.	टाईप 2बी. एच. के. टाईप-ए	68	81.15	1990000	199000	99500	298500
20.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला पलैट)	पाकेट-बी.	टाईप 2बी. एच. के. + स्टेडी एवं टाईप 2बी. एच. के. टाईप-ए	11	99.40	2698000	269800	134900	404700
21.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला पलैट)	पाकेट-बी.	टाईप 2बी. एच. के. + स्टेडी एवं टाईप 2बी. एच. के. टाईप-ए	44	99.40	2377000	237700	118850	356550
22.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला पलैट)	पाकेट-बी.	टाईप 2बी. एच. के. टाईप-ए	20	81.15	2336000	233600	116800	350400
23.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला पलैट)	पाकेट-बी.	टाईप 2बी. एच. के. टाईप-ए	54	81.15	1990000	199000	99500	298500

24.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-सी.	टाईप 2बी. एच. के. टाईप-बी	21	86.10	2384300	238430	119215	357645
25.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-सी.	टाईप 2बी. एच. के. टाईप-बी	69	86.10	2186600	218660	109330	327990
26.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव	पाकेट-डी	मध्यम आय वर्ग (विला / डुप्लैक्स भवन)	9	112.50	5626700	562670	281335	844005
27.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव	पाकेट-ई	मध्यम आय वर्ग (विला / डुप्लैक्स भवन)	11	112.50	5626700	562670	281335	844005
28.	शताब्दीनगर (भवन)	4बी / ए	उच्च आय वर्ग	10	180.00	3944000	394400	197200	591600
29.	शताब्दीनगर (भवन)	4बी / ए	मध्यम आय वर्ग	10	112.50	2473000	247300	123650	370950
30.	शताब्दीनगर (भवन)	4बी / बी	मध्यम आय वर्ग	01	112.50	2473000	247300	123650	370950
31.	शताब्दीनगर (भवन)	1 / ए	मिनी मध्यम आय वर्ग	02	72.00	1387000	138700	69350	208050
32.	शताब्दीनगर (भवन)	4बी / ए	अल्प आय वर्ग	01	50.00	890000	89000	44500	133500
33.	शताब्दीनगर (भवन)	4बी / बी	अल्प आय वर्ग	04	50.00	890000	89000	44500	133500
34.	शताब्दीनगर (भवन)	4सी / ई	अल्प आय वर्ग	04	50.00	844400	84440	42220	126660
35.	शताब्दीनगर (भवन)	4सी / सी	अल्प आय वर्ग	05	50.00	845000	84500	42250	126750
36.	शताब्दीनगर (महुमंजिला भवन)	4सी /	मध्यम आय वर्ग	170	65.00	2513000	251300	125650	376950
37.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-सी	दुर्बल आय वर्ग	01	25.61	677200	67720	33860	101580
38.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-सी	दुर्बल आय वर्ग	09	25.61	596570	59657	29829	89489
39.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-सी	दुर्बल आय वर्ग	05	25.61	616800	61680	30840	92520
40.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-सी	अल्प आय वर्ग	19	37.79	926400	92640	46320	138960
41.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-सी	अल्प आय वर्ग	24	37.79	784600	78460	39230	117690
42.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-सी	अल्प आय वर्ग	24	37.79	820000	82000	41000	123000
43.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	64	27.98	810100	81010	40505	121515
44.	लोहियानगर	पाकेट-सी.पी.	दुर्बल आय	64	27.98	712100	71210	35605	106815

	(फ्लैट)		वर्ग						
45.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	64	27.98	736600	73660	36830	110490
46.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-सी.पी.	अल्प आय वर्ग	58	37.79	1263200	126320	63160	189480
47.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-सी.पी.	अल्प आय वर्ग	60	37.79	1090600	109060	54530	163590
48.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-सी.पी.	अल्प आय वर्ग	56	37.79	1090600	109060	54530	163590
49.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-सी.पी.	अल्प आय वर्ग	63	37.79	1090600	109060	54530	163590
50.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट के	अल्प आय वर्ग	10	54.00	787900	78790	39395	118185
51.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	10	54.00	787900	78790	39395	118185
52.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	01	54.00	864900	86490	43245	129735
53.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	85	54.00	864900	86490	43245	129735
54.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	14	54.00	864900	86490	43245	129735
55.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट के	अल्प आय वर्ग	01	54.00	954850	95485	47743	143228
56.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	41	54.00	864900	86490	43245	129735
57.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	05	54.00	954900	95490	47745	143235
58.	लोहियानगर (बहुमंजिला भवन)	पॉकेट के	मध्यम आय वर्ग टाईप-ए	100	70.00	2626800	262680	131340	394020
59.	लोहियानगर (बहुमंजिला भवन)	पॉकेट के	मध्यम आय वर्ग टाईप-बी	85	57.00	2017900	201790	100895	302685
60.	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट-बी.	3बी.एच.के फ्लैट	8	112.50	3624700	362470	181235	543705
61.	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट-बी.	2बी.एच.के फ्लैट	25	94.00	3056600	305660	152830	458490
62.	गंगानगर (फ्लैट)	पॉकेट-जे	अल्प आय वर्ग	15	39.75	1270000	127000	63500	190500
63.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट-जे	दुर्बल आय वर्ग	2	28.00	823100	82310	41155	123465
64.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट-एच	दुर्बल आय वर्ग	4	31.33	865500	86550	43275	129825
65.	डिफेंस एन्क्लेव (फ्लैट)	पाकेट-बी	दुर्बल आय वर्ग	2	31.36	758800	75880	37940	113820
				1639					

सम्पत्ति मूल्य की शेष 75/80 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का विवरण—

क्र० सं०	सम्पत्ति की श्रेणी	75/80 प्रशित धनराशि की किश्तों का विवरण	दण्ड ब्याज का विवरण
1	दुर्बल आय वर्ग	9.5 वार्षिक दर से 5 वर्ष की 20 पलैट तिमाही किश्ते।	विलम्ब अवधि हेतु 13 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज
2	अल्प आय वर्ग	10.5 वार्षिक दर से 5 वर्ष की 20 पलैट तिमाही किश्ते।	विलम्ब अवधि हेतु 14 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज
3	मध्यम आय वर्ग	10.5 वार्षिक दर से 3 वर्ष की 12 पलैट तिमाही किश्ते।	विलम्ब अवधि हेतु 15 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज
4	उच्च आय वर्ग	10.5 वार्षिक दर से 3 वर्ष की 12 पलैट तिमाही किश्ते।	विलम्ब अवधि हेतु 15 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज

1. उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी प्रविष्टियाँ मानक क्षेत्रफल के आधार पर अनुमानित हैं, जो परिवर्तनीय हैं। सम्पत्तियों की संख्या एवं क्षेत्रफल व कीमत में परिवर्तन हो सकता है।
2. तालिका में उल्लिखित पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय हो, अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।
3. दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी के आवेदकों द्वारा आवेदित सम्पत्ति के पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय के प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी तथा आरक्षण के पात्र आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जातिय प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
4. देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।
5. यदि आवंटित सम्पत्ति में निहित भूमि का क्षेत्रफल, उपरोक्त स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत, भूमि मूल्या का 12 प्रशित फ्रीहोल्ड/10 प्रतिशत लीजरेन्ट आदि देय होगा और कार्नर भवनों पर सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज पृथक से देय होंगे।
6. प्राधिकरण की वेबसाईट (www.mdameerut.org.in) पर विवरण देखा जा सकता है।
7. आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। विस्तृत जानकारी योजनाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

x-x-x

(आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र रूपये 10/- के जनरल स्टाम्प पर टंकित कराकर नोटरी से प्रमाणित कराकर अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।)

शपथ पत्र

समक्ष:- उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

यह कि मेरा नाम पुत्र है तथा
..... का निवासी हूँ तथा मेरी आयु लगभग वर्ष है। मैं शपथ पूर्वक निम्न शपथ लेता हूँ:-

- 1 यह कि मैंने मेरठ विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति आवंटन सम्बन्धी नियमों, दशाओं एवम् विशेष सूचनाओं को स्पष्टतः समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता हूँ।
- 2 यह कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी, अवयस्क बच्चों एवम् मुझ पर आश्रित सम्बन्धी ने पूर्व में मेरठ विकास प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र नहीं किया है और यदि पूर्व में पंजीकरण/आवेदन कराया है तो इस योजना के अन्तर्गत आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद पूर्व पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 3 यह कि आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवस्यक बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इम्प्लूमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि इस तथ्य में आवेदन करते समय अथवा आवेदित सम्पत्ति के आवंटन उपरान्त असत्यता पायी जाती है तो पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने अथवा आवंटित सम्पत्ति का आवंटन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 4 यह कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये है तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो मेरठ विकास प्राधिकरण उचित समझे।

.....
हस्ताक्षर शपथकर्ता।

यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से 4 तक किया गया कथन मेरे निजी ज्ञान में सत्य है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक :

प्रमाणित स्थान-

.....
हस्ताक्षर शपथकर्ता।

आवेदन पत्र संख्या

पंजीकरण दिनांक से तक
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

प्राधिकरण की योजना में "जहाँ है, जैसा है," के आधार पर सम्पत्ति के लाटरी पद्धति से आवंटन हेतु
पंजीकरण आवेदन-पत्र।

1- आवेदन किस योजना की किस सम्पत्ति के लिये है-

(अ) योजना का नाम

(ब) सम्पत्ति की श्रेणी (स) सेक्टर

(द) पॉकेट

2- आवेदित सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर

3-आवेदक का नाम हिन्दी में

अंग्रेजी में

4- आवेदक की आयु वर्ष लिंग वैवाहिक स्तर

5- व्यवसाय

6- आवेदक के पिता/पति का नाम

7- पत्र व्यवहार का पूरा पता दूरभाष सहित

8- स्थायी पता दूरभाष सहित

9- आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता संख्या, दूरभाष सहित बैंक का पूरा नाम

10- पंजीकरण धनराशि का विवरण

11- यदि आरक्षित श्रेणी के है तो प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सहित विवरण दें

12- आवेदक को प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी पंजीकरण पुस्तिका का अध्ययन कर लिया गया है। पंजीकरण पुस्तिका में प्रकाशित नियम एवम् शर्तें आवेदक को मान्य है जिनका पालन करने हेतु आवेदक एतद्वारा वचन देता है।

आवेदन की तिथि.....

.....
आवेदक के हस्ताक्षर।

(सम्पत्ति अनुभाग की प्रति)
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

दिनांक----- आवेदन पत्र संख्या-----
योजना का नाम:- सेक्टर/पॉकेट
क्षेत्रफल ----- वर्ग मी०, भूखण्ड श्रेणी-----
आवेदक का नाम-----
पिता/पत्नी/पुत्री/श्री-----
पता:-----

जमा धनराशि का विवरण

1-पंजीकरण धनराशि-----

नगद/ड्राफ्ट सं०----- दिनांक----- धनराशि-----
बैंक का नाम-----
शब्दों में रूपये-----

आवेदक के हस्ताक्षर।

(लेखानुभाग की प्रति)
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

दिनांक----- आवेदन पत्र संख्या-----
योजना का नाम:- सेक्टर/पॉकेट
क्षेत्रफल ----- वर्ग मी०, भूखण्ड श्रेणी-----
आवेदक का नाम-----
पिता/पत्नी/पुत्री/श्री-----
पता:-----

जमा धनराशि का विवरण

1-पंजीकरण धनराशि-----

नगद/ड्राफ्ट सं०----- दिनांक----- धनराशि-----
बैंक का नाम-----
शब्दों में रूपये-----

आवेदक के हस्ताक्षर।

(बैंक की प्रति)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

दिनांक----- आवेदन पत्र संख्या-----
योजना का नाम:- सेक्टर/पॉकेट
क्षेत्रफल ----- वर्ग मी०, भूखण्ड श्रेणी-----
आवेदक का नाम-----
पिता/पत्नी/पुत्री/श्री-----
पता:-----

जमा धनराशि का विवरण

1-पंजीकरण धनराशि-----

नगद/ड्राफ्ट सं०----- दिनांक----- धनराशि-----
बैंक का नाम-----
शब्दों में रूपये-----

आवेदक के हस्ताक्षर।

(आवेदक की प्रति)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

दिनांक----- आवेदन पत्र संख्या-----
योजना का नाम:- सेक्टर/पॉकेट
क्षेत्रफल ----- वर्ग मी०, भूखण्ड श्रेणी-----
आवेदक का नाम-----
पिता/पत्नी/पुत्री/श्री-----
पता:-----

जमा धनराशि का विवरण

1-पंजीकरण धनराशि-----

नगद/ड्राफ्ट सं०----- दिनांक----- धनराशि-----
बैंक का नाम-----
शब्दों में रूपये-----

आवेदक के हस्ताक्षर।

